



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2259]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2016/भाद्र 24, 1938

No. 2259]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2016/BHADRA 24, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2016

का.आ. 2961 (अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम-5 ग और 5 ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 04/2010, दिनांक 28 जनवरी, 2010 जिसे का.आ. 348, दिनांक 28 फरवरी, 2010 के द्वारा भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, को 1 अप्रैल 2007 से निरस्त करती है और इसके लिए यह माना जाएगा कि उक्त अधिसूचना आयकर अधिनियम, 1961 या उस समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अंतर्गत कर संबंधी किसी लाभ के लिए जारी ही नहीं की गई है ।

[अधिसूचना सं. 82/2016/फा. सं. 203/64/2009/आई.टी.ए.-II]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक